(vii)

आरोप पत्र का गठन

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–31 में विनियम बनाने की शक्ति सरकार में निहित की गयी है। नियम– 31 का प्रावधान निम्नवत् है–

"31. विनियम बनाने की सरकार की शक्ति।– (1) सरकार इन नियमों के सभी अथवा किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगी।

(2) इस नियमावली के अधीन बनाये गये सभी विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।"

2. नियमावली के नियम–17 के उप–नियम–3 में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु आरोप पत्र के गठन का प्रावधान किया गया है। नियम–17(3) का प्रावधान निम्नवत् है–

"(3) जहाँ इस नियम के अधीन सरकारी सेवक के विरुद्ध जाँच करना प्रस्तावित हो वहाँ अनुशासनिक प्राधिकार–

(i) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के मद के रूप में लेखबद्ध करवायेगा;

(ii) आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा, जिसमें–

(क) सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन, और

(ख) उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो,

– अंतर्विष्ट रहेंगी।"

3. नियमावली में निहित विनियम बनाने के उक्त वर्णित प्रावधान का उपयोग कर नियम–17(3) के प्रावधान के तहत आरोप पत्र के गठन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या– 322 दिनांक– 31.01.2011 द्वारा "बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2011" अधिसूचित की गयी थी। इस विनियमावली में निर्धारित प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र के गठन का प्रावधान किया गया था।

4. पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या– 15983 दिनांक– 14.12.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र बनाने से संबंधित वर्ष, 2011 के उक्त वर्णित विनियमावली को निरसित करते हुए प्रपत्र 'क' के स्थान पर विहित प्रपत्र में **आरोप पत्र** के गठन हेतु **"बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017"** अधिसूचित की गयी है।

5. **निगरानी विभाग द्वारा प्रतिवेदित आपराधिक मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया–**

Scanned with OKEN Scanner

(i) अभिरक्षा अथवा आपराधिक कार्यवाही में अविलम्ब निलम्बन।

(ii) विभागीय कार्यवाही के लिए संबंधित कार्यालय से उन अभिलेखों को संग्रहित कर उनके आधार पर कदाचार से संबंधित आरोप पत्र गठित किया जाय, जिनके कारण संबंधित सरकारी सेवक द्वारा रिश्वत लिया गया था।

(iii) आरोप पत्र में संबंधित सेवक द्वारा किये गये सभी कदाचारों का, विशेष रूप से बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1)(i), (ii) एवं (iii) में उल्लेखित प्रावधानों का निश्चित रूप से उल्लेख किया जाय।

(iv) सरकारी सेवक को मात्र आपराधिक मामले में विमुक्ति के आधार पर ही उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में पारित बर्खास्तगी के आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता है (गगन राज सिंह नागोरी बनाम भारत सरकार, 1980 SLJ 136)।

व्याख्या– निगरानी विभाग द्वारा प्रतिवेदित मामलों में आपराधिक कार्रवाई की प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेवारी जाँचकर्त्ता एजेंसी की होती है। परन्तु ऐसे मामलों में यदि कदाचार का आरोप सरकारी कार्यों के निष्पादन से संबंधित हो अथवा आचार नियामवली के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित हो, तब आपराधिक घटना से संबंधित मामले की प्रशासनिक दृष्टिकोण से जाँच करायी जानी चाहिए। स्पष्टतः ऐसी जाँच में यह निर्धारित करने का प्रयत्न किया जायेगा कि संबंधित सरकारी सेवक द्वारा कार्य निष्पादन के क्रम में किन प्रशासनिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। प्रशासनिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर ही आरोप पत्र का गठन किया जाना चाहिए तथा इसके आधार पर आगे अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोप पत्र के गठन में जाँचकर्त्ता एजेंसी के प्रथम सूचना प्रतिवेदन (F.I.R.) को ही मुख्य आरोप बना दिया जाता है। फलतः आगे अनुशासनिक कार्यवाही के निष्पादन में कठिनाई होती है और अनुशासनिक कार्यवाही अनावश्यक रूप से काफी लंबी अवधि तक चलती रहती है। ऐसे मामलों में सामान्यतया किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में संचालन पदाधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकार को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः ऐसे मामलों में आरोपी सरकारी सेवक द्वारा किये गये प्रशासनिक चूकों को ही आरोप पत्र का मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए जिससे कि आपराधिक और अनुशासनिक कार्रवाई समान्तर रूप से चलाई जा सके, अनुशासनिक कार्रवाई का समयबद्ध निष्पादन किया जा सके तथा एक के निर्णय से दूसरे का निर्णय प्रभावित नहीं हो।

6. **आरोप पत्र के गठन का उदाहरण**– यहाँ एक ऐसे काल्पनिक उदाहरण का उल्लेख नीचे किया जा रहा है जिसमें एक ही घटनाक्रम से उत्पन्न अनुशासनिक एवं आपराधिक मामलों में समानान्तर कार्रवाई की गई है तथा जिसमें एक के निर्णय से दूसरे का निर्णय प्रभावित होने

Scanned with OKEN Scanner

की भी सम्भावना नहीं है। दिया गया उदाहरण सरलतम उदाहरणों में से है। वस्तुतः व्यवहार में इतना सरल उदाहरण सामान्यतया सामने नहीं आता है।

(1) घटनाक्रम – किसी विभाग में एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक द्वारा अपने सेवान्तीय लाभों की स्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित किया जाता है। यह आवेदन विभाग में निर्धारित पदसोपान से होते हुए किसी शाखा में प्राप्त होता है तथा डायरी के उपरान्त किसी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के कर्मपुस्त में उसकी प्रविष्टि की जाती है।

उक्त आवेदन का निष्पादन लंबित रहते हुए ही संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा सेवानिवृत्त कर्मी से रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया जाता है तथा सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध F.I.R. दर्ज करते हुए उसे कारावास में संसीमित किया जाता है। इस घटनाक्रम की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

(2) विभाग के स्तर पर कार्रवाई– F.I.R. दर्ज करते हुए कारावास में संसीमित किये जाने की सूचना प्राप्त होते ही सर्वप्रथम संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को उसके कारानिरोध की तिथि से ही निलंबित किया जायेगा। तत्पश्चात् जिस घटनाक्रम में इस आपराधिक मामले का जन्म हुआ है, उस घटनाक्रम की प्रशासनिक दृष्टिकोण से जाँच करायी जायेगी। यह जाँच किसी एक पदाधिकारी द्वारा की जा सकती है अथवा इसके लिए एक जाँच दल का गठन किया जा सकता है। यथास्थिति पदाधिकारी/जाँचदल द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया जाता है।

(3) जाँच प्रतिवेदन– निदेशानुसार श्री गणेश कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पटल की प्रशासनिक दृष्टिकोण से जाँच की गयी। जाँच के समय शाखा के प्रभारी अवर सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी तथा दो अन्य सहायक भी उपस्थित थे। जाँचोपरान्त श्री कुमार द्वारा बरती गयी प्रशासनिक त्रुटियाँ निम्नवत् पायी गयी–

(i) श्री रमेश प्रसाद का सेवान्तीय लाभ की स्वीकृति का आवेदन दिनांक– 07.11.2018 को विभाग में प्राप्त हुआ। यह आवेदन दिनांक– 11.11.2018 को श्री कुमार के कर्मपुस्त में डायरी संख्या– 117 दिनांक– 11.11.2018 द्वारा प्रविष्ट किया गया।

(ii) उक्त आवेदन के निष्पादन के एवज में श्री कुमार को दिनांक– 01.12.2018 को 5000/– रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी के धावादल द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं F.I.R, दर्ज करते हुए दिनांक– 01.12.2018 को ही कारावास में निरुद्ध किया गया। यह आवेदन जाँच की तिथि दिनांक– 06.12.2018 अर्थात् आज तक अनिष्पादित है।

(iii) जाँच में यह पाया गया कि श्री प्रसाद के आवेदन के अतिरिक्त कुल 96 पत्र (सूची संलग्न) श्री कुमार के कर्मपुस्त में तीन महीने से ज्यादा अवधि से अनिष्पादित एवं लंबित हैं। इनमें से कुल 12 पत्र (सूची संलग्न) माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित

Scanned with OKEN Scanner

महत्त्वपूर्ण पत्र हैं, कुल 07 पत्र (सूची संलग्न) माननीय लोकायुक्त से संबंधित महत्त्वपूर्ण पत्र हैं तथा कुल 17 पत्र (सूची संलग्न) भारत सरकार से प्राप्त महत्त्वपूर्ण पत्र हैं, जिनका उत्तर सात दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का अनुरोध भारत सरकार द्वारा किया गया है। स्पष्टतः श्री प्रसाद के अभ्यावेदन को छोड़कर कुल 96 में 36 पत्र ऐसे हैं जिन पर अतिशीघ्र कार्रवाई अपेक्षित थी, परन्तु ये तीन महीने से ज्यादा अवधि से श्री कुमार के कर्मपुस्त में लंबित हैं।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

ह0/–
दिनांक– 06.12.2018
(श्री शिवानन्द सिंह)
अपर सचिव

(4) जाँच पत्र के आधार पर आरोप पत्र का गठन–

आरोप–पत्र

(1) प्रथम भाग – सरकारी सेवक से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएँ

1.	नाम	:– श्री गणेश कुमार
2.	पदनाम	:– सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय सेवा
3.	जन्म तिथि	:– 14.12.1967
4.	सेवानिवृत्ति की तिथि	:– 31.12.2027
5.	सेवा/संवर्ग का नाम	:– बिहार सचिवालय सेवा
6.	पद समूह एवं विभाग	:– समूह 'ख', जल संसाधन विभाग
7.	वरीयता क्रम/सिविल लिस्ट क्रमांक	:– 1232/2011
8.	वेतनबैंड एवं ग्रेड पे/वेतन स्तर	:– वेतन स्तर '7'
9.	आरोप वर्ष एवं तत्कालीन पदस्थापन	:– 2018, जल संसाधन विभाग
10.	बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43बी के तहत कालबाधित होने की तिथि	:– लागू नहीं।

ह0/–
पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

(2) द्वितीय भाग – अवचार या कदाचार के लांछनों का सार

1. श्री रमेश प्रसाद, के सेवान्तीय लाभ की स्वीकृति का आवेदन डायरी संख्या– 117 दिनांक– 11.11.2018 द्वारा आपकी कर्मपुस्त में दिनांक– 11.11.2018 को दर्ज किया गया, जो दिनांक–06.12.2018 तक अनिष्पादित एवं लंबित था। यह आपकी कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

2. आपके कर्मपुस्त में श्री प्रसाद के आवेदन के अतिरिक्त कुल 96 अन्य पत्र (सूची संलग्न) तीन महीने से ज्यादा अवधि से अनिष्पादित एवं लंबित पाया गया है जिनमें से 12 पत्र (सूची संलग्न) माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित, 07 पत्र (सूची संलग्न) माननीय लोकायुक्त से संबंधित तथा 17 पत्र (सूची संलग्न) भारत सरकार से प्राप्त महत्त्वपूर्ण पत्र हैं। इतनी अधिक संख्या में इतने महत्त्वपूर्ण पत्रों का अनिष्पादित एवं लंबित रहना आपकी अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

Scanned with OKEN Scanner

3. आरोप संख्या–1 में वर्णित श्री रमेश प्रसाद के आवेदन के निष्पादन के एवज में आपको दिनांक–01.12.2018 को 5000/– रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी के धावादल द्वारा गिरफ्तार कर कारानिरुद्ध किया जाना आपकी सत्यनिष्ठा के संदिग्ध होने का परिचायक है।

4. आपका उपर्युक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियामवली, 1976 के नियम–3(1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

ह0/–

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

(3) तृतीय भाग – अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन

1. श्री रमेश प्रसाद का सेवान्तीय लाभ की स्वीकृति का आवेदन दिनांक– 07.11.2018 को विभाग में प्राप्त हुआ। यह आवेदन दिनांक– 11.11.2018 को आपकी कर्मपुस्त में डायरी संख्या–117 दिनांक– 11.11.2018 द्वारा प्रविष्ट किया गया। जाँच में यह आवेदन दिनांक– 06.12.2018 तक अनिष्पादित एवं लंबित था।

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 3887 दिनांक– 19.06.2008 में निहित निदेश के आलोक में किसी स्तर पर प्राप्त पत्र/संचिका का निष्पादन अधिकतम तीन कार्य दिवस में कर दिया जाना है। श्री प्रसाद का अभ्यावेदन दिनांक–11.11.2018 को प्राप्त होने के बावजूद भी दिनांक–06.12.2018 तक इसका अनिष्पादित एवं लंबित रहना आपके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

2. आपके कर्मपुस्त की जाँच में यह भी पाया गया कि श्री प्रसाद के आवेदन के अतिरिक्त कुल 96 पत्र (सूची संलग्न) आपके कर्मपुस्त में तीन महीने से ज्यादा अवधि से अनिष्पादित एवं लंबित हैं। इनमें से कुल 12 पत्र (सूची संलग्न) माननीय उच्च न्यायालय से संबंधित महत्त्वपूर्ण पत्र हैं, कुल 07 पत्र (सूची संलग्न) माननीय लोकायुक्त से संबंधित महत्त्वपूर्ण पत्र हैं तथा कुल 17 पत्र (सूची संलग्न) भारत सरकार से प्राप्त महत्त्वपूर्ण पत्र हैं, जिनका उत्तर सात दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का अनुरोध भारत सरकार द्वारा किया गया है।

मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक 3887 दिनांक– 19.06.2008 में निहित निदेश के आलोक में किसी स्तर पर प्राप्त पत्र/संचिका का निष्पादन अधिकतम तीन कार्य दिवस में कर दिया जाना है।

इतनी अधिक संख्या में इतने महत्तवपूर्ण पत्रों का अनिष्पादित एवं लंबित रहना आपकी घोर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

3. श्री रमेश प्रसाद के उक्त आवेदन के निष्पादन के एवज में आपको दिनांक–01.12.2018 को 5000/– रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी के धावादल द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं F.I.R, दर्ज करते हुए दिनांक– 01.12.2018 को ही कारावास में निरुद्ध किया गया। यह आवेदन जाँच की तिथि 06.12.2018 तक अनिष्पादित है।

इस पत्र का अनिष्पादित रहना तथा इसके निष्पादन के एवज में रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किये जाने से यह स्पष्ट है कि इस पत्र के निष्पादन में आपकी अन्यथा अभिरूचि थी। आपका यह आचरण सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल एवं अशोभनीय है तथा इससे आपकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध प्रमाणित होती है।

4. आपके उपरोक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियामवली, 1976 के नियम–3(1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

ह0/–

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

(4) चतुर्थ भाग – (क) दस्तावेजों की सूची

(जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो)

क्र0	संबंधित पत्र/अभिलेख	पृष्ठों की संख्या
1.	श्री रमेश प्रसाद के सेवान्तीय लाभ के अभ्यावेदन की छायाप्रति।	(कुल–07 पृष्ठ)
2.	शाखा के डायरी पंजी की छायाप्रति।	(कुल–01पृष्ठ)
3.	श्री गणेश कुमार के कर्मपुस्त की छायाप्रति	(कुल–32पृष्ठ)
4.	अपर सचिव के जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति (सभी अनुलग्नकों सहित)	(कुल–08 पृष्ठ)
5.	निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्र संख्या– 72 दिनांक– 02.12. 2018 की छायाप्रति	(कुल–13पृष्ठ)
6.	मुख्य सचिव के पत्रांक–3887 दिनांक–19.06.2008 की छायाप्रति।	(कुल–01 पृष्ठ)

(ख) साक्षियों की सूची

1. श्री ...., अपर सचिव
2. श्री ...., प्रभारी अवर सचिव
3. श्री ...., शाखा में जाँच के समय उपस्थित कोई अन्य कर्मी
4. श्री ...., प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्री ...., धावादल के सदस्य

ह0/–

पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर

(5) व्याख्या–उपरोक्त उदाहरण में दिये गये आरोप पत्र के आधार पर अगर अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाय, तब आरोप संख्या–1, 2 एवं 4 को प्रमाणित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख एवं साक्षी उपलब्ध हैं। आरोप संख्या–3 को प्रमाणित करने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। स्पष्टतः इस आरोप पत्र के आधार पर संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को निष्पादित किये जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी और प्रमाणित आरोपों के लिए यथोचित दंड दिये जाने में भी कोई कठिनाई नहीं होगी।

इसका मूल कारण यह है कि F.I.R, को आरोप पत्र का आधार नहीं बनाया गया है। बल्कि श्री कुमार द्वारा वरती गयी प्रशासनिक चूकों को आरोप पत्र का आधार बनाया गया है। आरोप संख्या–3 में F.I.R. की सूचना को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में मात्र यह प्रमाणित करने के लिए उपयोग में लाया गया है कि श्री कुमार की शीलनिष्ठा (Integrity) संदिग्ध है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी श्री कुमार को यदि किसी कारण से आपराधिक मामले में संदेह का लाभ मिल भी जाय, तब भी उक्त आरोप पत्र के आधार पर संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का निष्कर्ष उससे प्रभावित नहीं होगा।

उपर्युक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि किसी एक घटनाक्रम से उत्पन्न आपराधिक और अनुशासनिक कार्रवाई साथ–साथ समानान्तर रूप से चलाई जा सकती है जिसमें एक के निर्णय से दूसरे का निर्णय अप्रभावित रहेगा।

....

Scanned with OKEN Scanner